

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-

सं०सं०-०५/स्था०-(DTO)-३०/२०१३(खंड-१) / जिला में पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारी/पद पर कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को कार्यहित में अपने कार्यों के अतिरिक्त उनके नाम के सामने कॉलम-४ में अंकित पद पर अतिरिक्त प्रभार तत्काल के प्रभाव से दिया जाता है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	नवपदस्थापन
१	२	३	४
१	श्री विवेक चन्द्र पटेल	जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर	जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा (अतिरिक्त प्रभार)

२. मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की धारा-२१३(१) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, १९९४ की धारा-३ का प्रयोग करते हुए श्री विवेक चन्द्र पटेल को जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कृत्यानन्द रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-०५/स्था०-(DTO)-३०/२०१३ (खंड-१) २८२२/पटना, दिनांक २८/३/२०२५

प्रतिलिपि- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं दरभंगा/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, समस्तीपुर एवं दरभंगा/जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं दरभंगा/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक, समस्तीपुर एवं दरभंगा/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, समस्तीपुर एवं दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२. श्री तारकेश्वर प्रसाद, वरीय तकनीकी निदेशक, वैज्ञानिक-F, एन०आई०सी० (NIC), बिहार, पटना से अनुरोध है कि निर्गत अधिसूचना में नवपदस्थापन जिला, दरभंगा में पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारी को वाहन/सारथी कार्य हेतु User ID/Password निर्गत करने की कृपा की जाय।

७/३/२५
सरकार के संयुक्त सचिव